भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 947
जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

नोटरी आवेदन और नवीनीकरण

947. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में नए नोटरियों की नियुक्ति और विद्यमान नोटरी पंजीकरण के नवीनीकरण में हो रहे विलंब की जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के अंतर्गत लंबित आवेदनों के निपटान के विशेष संदर्भ में इस विलंब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विलंब के कारण नोटरी सेवाओं और सार्वजनिक दस्तावेजों के सत्यापन के कार्य का प्रतिकूल रूप से प्रभावित न होना सुनिश्चित करने के लिए कोई अंतरिम निर्देश या दिशानिर्देश जारी किए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में जनता और विधिक व्यवसायियों को असुविधा से बचाने के लिए नोटरी प्रमाणपत्रों की जाँच, अनुमोदन और उन्हें जारी करने में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : विद्यमान नोटरी के व्यवसाय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है और विहित प्ररूप में प्राप्त नवीनीकरण के आवेदनों पर नियमित रूप से विचार किया जाता है और उनका निपटान किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य में नोटरी की नियुक्ति

के लिए 31.08.2022 तक प्राप्त आवेदनों के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार फरवरी-मार्च, 2023 में आयोजित किए गए थे। तथापि, प्रशासनिक कारणों से, नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। इस संबंध में एक पब्लिक नोटिस 26.05.2023 को विधि कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा भी नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के अधीन नोटरी की नियुक्त की जाती है। आज की तारीख में, कर्नाटक में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य में नियुक्त 1700 से अधिक नोटरी, नोटरी रजिस्टर में स्थान पा चुके हैं।
